संख्या-63/2022/1914ई-2/तेरह-2022-400005

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2022

विषयः मे. डी.एस.एम. शुगर, असमौली (डिस्टिलरी डिवीजन), सम्भल को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः-जी-247/दो-प्रा.डी.-92, दिनांक 11-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 11-11-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स डी.एस.एम. शुगर, असमौली (डिस्टिलरी डिवीजन), सम्भल को शासनादेश दिनांक 20-09-2021 द्वारा स्वीकृत क्षमता 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 825 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 206.25 लाख ब.ली. कुल 1031.25 लाख लीटर वार्षिक अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की दी गयी अनुमति को संशोधित करते हुये स्वीकृत क्षमता 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 875 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 218.75 लाख ब.ली. कुल 1093.75 लाख लीटर वार्षिक अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा।

(2) आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र दिनांक 25-10-2021 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए बढ़ी हुयी क्षमता पर उत्पादन कार्य किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।